न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

1. जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2404 सन 2026

CNR. No.UPSP01010061592026

1. सारिक पुत्र शराफत।
2. कादिर पुत्र अलीशेर।
निवासीगण–अकबरपुर सुनहेटी, थाना कैराना, जिला शामली।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 109/2026
धारा 303(2) बी0एन0एस0
थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर।

2. जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2457 सन 2026

CNR. No.UPSP010061932026

शोएब पुत्र इरफान, निवासी ग्राम घानाखण्डी, थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 109/2026
धारा 303(2),3(5) बी0एन0एस0
थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर।

3. जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2458 सन 2026

CNR. No.UPSP010061922026

सलमान पुत्र मकबूल, निवासी मौ0 हुसैन बस्ती बेहट अडडा, थाना मण्डी, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 109/2026
धारा 303(2) बी0एन0एस0
थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

08.06.2026

उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र एक ही मुकदमा अपराध संख्या 109/2026 थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर से सम्बन्धित हैं, जिस कारण उक्त जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण **सारिक, कादिर एवं सलमान** की ओर से धारा **303(2) बी0एन0एस0** एवं प्रार्थी/अभियुक्त **शोएब** की ओर से धारा **303(2), 3(5) बी0एन0एस0** के अर्न्तगत जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण दिनांक 27.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

जमानत प्रार्थनापत्रो के साथ जाबिर पुत्र अलीशेर, मकबूल पुत्र रशीद अहमद हुसैन एवं इरफान पुत्र शोकत अली के शपथपत्र दाखिल किए गए हैं, जिनके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्तगण का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी रिफाकत द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि ग्राम शाहपुर गाडा में तालाब के पास लगे इण्डस कम्पनी के टावर से दिनांक 07/08.04.2026 की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा टावर से बैट्री बैंक अमर राजा के 24 सेल चोरी कर लिए हैं, जिस कारण टावर बन्द हो गया, और क्षेत्रीये लोगो को संचार व्यवस्था में बाधा हुई व कम्पनी का काफी नुकसान हुआ। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें मुकदमा उपरोक्त में झूठा आलिप्त किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। प्रार्थीगण का तथाकथित घटना से किसी प्रकार का कोई मतलब वास्ता नही है। प्रार्थीगण को घर से उठाकर थर्ड डिग्री दी गयी, और प्रार्थीगण के साथ पुलिस वालो ने शराब पीकर मारपीट कर मुकदम अपराध सं0–197/2026 में झूठी कहानी बनाकर जेल भेज दिया। प्रार्थीगण से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नही हुई है, कथित बरामदगी झूठी एवं फर्जी है। प्रार्थीगण अन्य सभी मुकदमों में जमानत पर है। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर ग्राम शाहपुर गाडा में तालाब के पास लगे इण्डस कम्पनी के टावर से बैट्री बैंक अमर राजा के 24 सेल चोरी करने का आक्षेप है। प्रस्तुत मामले की घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। केस डायरी पर के अनुसार पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण को अन्य वाद में गिरफतार किए जाने पर पूछताछ के दौरान उनके द्वारा इस अपराध की संस्वीकृति किए जाने के आधार पर उसका नाम इस मामले में प्रकाश में आना दर्शित है, परन्तु आवेदक/अभियुक्तगण की कथित प्रकार से गिरफतारी का कोई स्वतन्त्र साक्षी होना दर्शित नही है। पत्रावली के अवलोकन से आवेदक/अभियुक्तगण की वादी से कोई शिनाख्त कराया जाना भी दर्शित नही है। आवेदक/अभियुक्तगण दिनांक 27.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। कथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। थाने से प्राप्त आपराधिक इतिहास में दर्शित अन्य मुकदमों में आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से जमानत पर होने का कथन किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवदेक/अभियुक्तगण **<u>सारिक, कादिर, शोएब एवं सलमान</u>** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाते हैं। प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अंकन 25,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर उन्हें निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. उपरोक्त मामले की प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्तगण स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे।
2. आवेदक/अभियुक्तगण, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्तगण कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।
4. आवेदक/अभियुक्तगण साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेंगे।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

इस आदेश की एक–एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2457 व 2458/2026 की पत्रावलियों पर रखी जाये।

दिनांकः–08.06.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891